कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

संख्या–FC – 89

प्रेषक,

भारत ज्योति,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 16/02/2017

विषय– श्री परमात्मा कुमार सिंह द्वारा गोपालगंज जिलान्तर्गत मौजा– भटपोईया, में भागीपट्टी– समौर पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पहुँच पथ निर्माण कार्य के उपयोग में लायी जाने वाली कुल–0.00615 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-I Approval) प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक गोपालगंज जिलान्तर्गत मौजा– भटपोईया, में भागीपट्टी– समौर पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि अपयोजन हेतु श्री परमात्मा कुमार सिंह, पिता– श्री रामदेव सिंह, ग्राम– महन्थवा, पोस्ट– छितौना, थाना– कट्या, जिला– गोपालगंज, पिन कोड– 841 425 का प्रस्ताव वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान के पत्रांक 2267 दिनांक 28.12.2016 के साथ इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 190(ई०) दिनांक 16.02.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। इस क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रिटेल आउटलेट में जाने वाले पथ (Entry) तथा निकलने वाले पथ (Exit) की माप सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर में इस विषय पर बनी सहमति जो प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार को इस कार्यालय के ज्ञापांक FC- 106 दिनांक 19.03.2013 द्वारा संसूचित किया गया है, के अधीन है।

इस प्रकार प्रवेश एवं निकास के रास्ते के लिये कुल 0.00615 हेक्टेयर वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है।

3. अपयोजन प्रस्ताव के लिए अपेक्षित जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा निर्गत FRA, 2006 का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

4. अपयोजित होने वाली भूमि का Geo-referenced मानचित्र एवं उसका Shape file की सॉफ्ट् कॉपी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित स्थल पर पातित होने वाले पौधों की संख्या शून्य है तथा वन का वानस्पतिक घनत्व 0.3 अंकित किया गया है।

6. इस रिटेल आउटलेट क्षेत्र के आसपास कोई प्राकृतिक वन अवस्थित नहीं है।

7. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रस्तावित स्थल से अगले पम्प की दूरी मीरगंज की ओर 8 (आठ) कि०मी० तथा भागीपट्टी– समौर की ओर 6 (छः) कि०मी० अंकित किया गया है।

19

8. विषयक मामले में संबंधित वन संरक्षक से प्रस्तावित स्थल का, वहाँ उपलब्ध वृक्षों (अथवा अन्यथा) फोटोग्राफ के साथ जाँच प्रतिवेदन (प्रपत्र–III में अंकित सूचना के अतिरिक्त) अलग से संलग्न समर्पित है।

उक्त अपयोजन प्रस्ताव पर संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक की अनुशंसा प्राप्त है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

(i) भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत् रहेगा।

(ii) 0.00615 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 3,850/– (तीन हजार आठ सौ पचास रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

(iii) क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये 50 (पचास) वृक्षों के रोपण एवं 7 (सात) वर्षों तक इसके रख–रखाव के लिये आवश्यक राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक दर पर पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

(iv) भारत सरकार के पत्र संख्या 11–29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुसार उक्त भूभाग का Commercial उपयोग (भवन बनाकर भी) नहीं किया जायेगा।

(v) भारत सरकार के पत्र संख्या 11–29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश/निकास छोड़कर शेष भाग में हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही रिटेल आउटलेट की परिसीमा में 1–1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण करना होगा एवं भारत सरकार के पत्रांक 5–3/2007 दिनांक 18.03.2010 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश निकास छोड़कर प्रतिष्ठान के पूरे परिसीमा में 1–1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण कर हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। हरित पट्टी परिसर की चहारदीवारी से 1.5 मीटर हटकर तैयार की जायेगी साथ ही प्रवेश निकास को छोड़कर रिटेल आउटलेट के आगे के हिस्से में Shrubby या Ornamental पौधों का रोपण किया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न भेजी जा रही है। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय राँची से सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-I Approval) प्राप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(भारत ज्योति)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना

ज्ञापांक– FC-89 दिनांक– 16/02/2017

प्रतिलिपिः श्री परमात्मा कुमार सिंह, पिता– श्री रामदेव सिंह, ग्राम– महन्थवा, पोस्ट– छितौना, थाना– कट्या, जिला– गोपालगंज, पिन कोड– 841 425 को सूचना हेतु प्रेषित।

भारत 14/2/17
(भारत ज्योति)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना

O/C